इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 **द्वारा प्रमाणित)**

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : **10** **अंक** : **9** **अप्रैल**, **2019** **पृष्ठों की संख्या** 18

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ----------4
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ----------5
विनियामकों के कथन ----------6
नयी नियुक्तियाँ----------7
विदेशी मुद्रा ----------7
शब्दावली ----------8
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------9
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------9
संस्थान समाचार ----------10
नयी पहलकदमी ----------15
बाजार की खबरें ----------15

''इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अ रुपया थवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।''

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपतटीय बाज़ारों के संबंध में कार्य बल का गठन किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपतटीय रुपया बाज़ारों से संबन्धित मुद्दों की जांच करने और घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपायों की सिफ़ारिश करने हेतु अपनी भूतपूर्व उप गवर्नर श्रीमती उषा थोरात की अध्यक्षता में एक आठ सदस्यीय कार्य बल का गठन किया है। उक्त पैनल अपतटीय रुपया बाजार के विकास के पीछे निहित कारणों का पता लगायेगा तथा रुपए की विनिमय दर एवं घरेलू बाजार में बाजार से संबन्धित चल निधि पर उसके प्रभावों का अध्ययन करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक घरेलू बाजार तक पहुँचने के लिए अनिवासियों के लिए प्रोत्साहन सृजित करने हेतु उपाय करने के अलावा अपतटीय रुपया व्यापार से पैदा होने वाली किसी चिंता के निवारण के लिए उपायों की सिफ़ारिश भी कर सकता है। उक्त पैनल इस बात की भी जांच करेगा कि इन चिंताओं का निवारण करने में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र किस प्रकार सहायता कर सकता है। यह पैनल अपनी रिपोर्ट जून, 2019 के अंत तक प्रस्तुत करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे गहन एवं अनिरुद्ध (liquid) तटवर्ती वित्तीय बाज़ारों को विकसित करने के उद्देश्यों द्वारा निर्देशित हुआ है जो वैश्विक स्तर पर रुपए के मूल्य निर्धारक का कार्य करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार के दुरुपयोग को रोकने हेतु दिशानिर्देश जारी किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने बाज़ारों में सहभागियों द्वारा वित्तीय लिखतों के लिए मूल्य-संवेदी

सूचनाओं के दुरुपयोग को रोकने हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, कोई भी बाजार-सहभागी आधार दर (benchmark rate) अथवा सदर्भ दर को प्रभावित करने के एकल या प्रबल आशय/इरादे से कोई भी लेनदेन नहीं करेगा अथवा कोई भी कार्यवाही नहीं आरंभ करेगा। इस प्रकार की किसी भी गतिविधि में संलग्न सहभागी एक ऐसी अवधि, जो एक बार में एक माह से अधिक नहीं हो सकती, के लिए एक या उससे अधिक लिखतों के मामले में बाज़ारों में पहुँच से वंचित कर दिये जाने के पात्र होंगे। ये दिशानिर्देश 15 मार्च, 2019 से प्रभावी हो गए हैं। इन निर्देशों में मन्यताप्राप्त शेयर बाज़ारों के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल नहीं होंगे। वे मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति अथवा अन्य सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में संलग्न बैंकों और केंद्रीय सरकार पर भी नहीं लागू होंगे।

सेबी, आईबीबीआई ने बेहतर दिवाला और दिवालियापन संहिता कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। वे प्रयोज्य क़ानूनों द्वारा अधिरोपित परिसीमाओं के अधीन एक-दूसरे की सहायता करने और सहयोग करने पर सहमत हुये हैं। उक्त समझौता ज्ञापन मेँ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के बीच सूचना एवं संसाधनों मेँ साझेदारी करने की व्यवस्था है। प्रत्येक पक्ष के उत्तरदायित्वों, प्रवर्तन से संबन्धित मामलों, अनुसंधान एवं डाटा विश्लेषण आदि को प्रभावित करने वाली विनियामक आवश्यकताओं सहित पारस्परिक हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए आवधिक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इस समझौते की एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि सामूहिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए दूसरे पक्ष के ध्येय (mission) के प्रति प्रत्येक पक्ष की समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से कर्मचारियों को पारस्परिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। यह कार्य दिवाला व्यावसायिकों एवं वित्तीय लेनदारों मेँ क्षमता-निर्माण की पहलकदमियों के अतिरिक्त किया जाएगा।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने आयातकों को 150 मिलियन अमरीकी डालर का व्यापार ऋण जुटाने की अनुमति दी

भारतीय रिजर्व बैंक ने तेल/गैस शोधन एवं विपणन, एअरलाइन और नौवहन कंपनियों को स्वत: मार्ग (automatic route**) के अधीन प्रत्येक आयात लेनदेन 150 मिलियन अमरीकी डालर अथवा उसकी समतुल्य रकम तक का व्यापार ऋण जुटाने में समर्थ बनाने के लिए व्यापार ऋण नीति को संशोधित कर दिया है। अन्य कंपनियाँ प्रति आयात लेनदेन 50 मिलियन अमरीकी डालर अथवा उसकी समतुल्य रकम तक का व्यापार ऋण जुटा सकती हैं। उक्त संशोधित नीति विदेशी मुद्रा (श्रेणी -**I **वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंकों अथवा प्राधिकृत व्यापारियों) का लेनदेन करने हेतु प्राधिकृत बैंकों को जारी कर दी गई है। समस्त अंतर्निहित लागत (ब्याज दर, अन्य शुल्कों, खर्चों, प्रभारों, विदेशी मुद्रा अथवा रुपये में गारंटी शुल्कों सहित) की प्रति वर्ष उच्चतम सीमा बेंचमार्क दर जोड़िए 250 आधार अंक कीमत-लागत अंतर (**spread**) तक निर्धारित की गई है। पोतलदान की तिथि से परिकलित व्यापार ऋण की अवधि पूंजीगत माल के आयात हेतु तीन वर्ष तक तथा गैर-पूंजीगत माल के आयात हेतु एक वर्ष अथवा परिचालन चक्र, इनमें से जो भी कम हो, तक होगी। हालांकि, पोत-प्रांगणों (**shipyards**) / पोत-निर्माताओं (**shipbuilders**) के मामले में गैर-पूंजीगत माल के आयात में यह अवधि बढ़ कर तीन वर्ष तक हो सकती है। व्यापार ऋण आयातकों की ओर से व्यापार ऋण के ऋणदाता के पक्ष में प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा व्यापार ऋण की रकम से अनधिक रकम के लिए दी जाने वाली बैंक गारंटियों से प्रतिभूत किए जा सकते हैं। ऐसी गारंटी की अवधि व्यापार ऋण हेतु अधिकतम अनुमेय अवधि से अधिक नहीं हो सकती।**

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 20 के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की निवेश सीमा बढ़ाई

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों (G-secs) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की निवेश सीमा वित्त वर्ष 2018-19 में 5.5 % से बढ़ा कर प्रतिभूतियों के बकाया स्टाक का 6% कर दिया है। वर्ष 2019-20 के लिए दो उप-श्रेणियों -सामान्य और दीर्घावधिक - सरकारी प्रतिभूतियों में वृद्धि का यह आबंटन 50:50 निर्धारित किया गया है। राज्य विकास ऋणों (SDLs) के मामले में सीमाओं में कुल वृद्धि को राज्य विकास ऋणों की सामान्य उप-श्रेणी में जोड़ दिया गया है। सरकारी प्रतिभूतियों के लिए कूपन पुनर्निवेश व्यवस्था राज्य विकास ऋणों तक भी विस्तारित कर दी जाएगी।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने श्वेत लेबल एटीएम प्रचालकों को विज्ञापनों से नकदी प्राप्त करने और आय सृजित करने की अनुमति दी

श्वेत लेबल एटीएमों (WLATMs) की व्यवहार्यता को बढ़ाने की एक मुहिम में भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक और मुद्रा-तिजोरियों (currency chests) से थोक नकदी खरीदने, किसी भी अनुसूचित बैंक से नकदी प्राप्त करने और श्वेत लेबल एटीएम परिसरों के भीतर गैर-वित्तीय उत्पादों/सेवाओं से भी संबन्धित विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति दे दी है। इसके अतिरिक्त, बैंक प्राधिकृत श्वेत लेबल एटीमों के साथ सह-ब्राण्ड कार्ड जारी कर सकते हैं तथा जहां ग्राहक/कार्डधारक और एटीएम उसी (एक ही) बैंक से हों, वहाँ अपने श्वेत लेबल एटीमों को "हम पर" (on us) लेनदेनों की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। श्वेत लेबल एटीएम प्रचालकों अर्थात डब्ल्यूएलओज (WLAOs) को खुदरा बिक्री केन्द्रों से नकदी प्राप्त करने के लिए दिसंबर, 2016 में दी गई अनुमति वापस ले ली गई है। श्वेत लेबल एटीएम प्रचालक पूर्ण भुगतानों के समक्ष किसी भी मूल्यवर्ग वाले एक लाख नगों (और उनके गुणजों में) की प्रारम्भिक सीमा से अधिक की थोक नकदी अपने निर्गम कार्यालयों और मुद्रा तिजोरियों से सीधे ही खरीद सकते हैं। वे तकनीकी संभाव्यता और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के प्रमाणन की शर्त पर बिल भुगतान और अंतर-परिचालनीय नकदी जमा सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं। वे श्वेत लेबल एटीएम परिसरों के भीतर मुख्य साइनबोर्ड को छोडकर श्वेत

लेबल एटीएम स्क्रीन सहित किसी भी स्थान पर गैर-वित्तीय उत्पादों/सेवाओं से संबन्धित विज्ञापन प्रदर्शित कर सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडएएस की शुरुआत स्थगित की

भारतीय रिजर्व बैंक ने नये लेखांकन मानकों (standards) की शुरूआत को स्थगित कर दिया है। वह इन मानदंडों को अपनाने से पहले बैंकिंग क़ानूनों में संशोधन की प्रतीक्षा कर रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवासियों के लिए ब्याज दर वैकल्पिक बाजार खोल दिया

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवासियों के लिए रुपया ब्याज दर जोखिम के प्रति किसी एक्सपोजर को प्रतिरक्षित (hedge) करने हेतु तथा प्रतिरक्षण/बचाव व्यवस्था को छोडकर अन्य उद्देश्यों के लिए रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी (derivative) बाजार में लेनदेन करने को हरी झंडी दिखा दी है। अनिवासी मान्यताप्राप्त शेयर बाज़ारों, इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग प्लेटफार्मों (DTPs) अथवा काउंटर पर किए जाने वाले लेनदेनों (OTC) के बाजार में किसी भी अनुमत उत्पाद का उपयोग करते हुये अपने ब्याज दर जोखिम को प्रतिरक्षित करने हेतु रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी लेनदेन कर सकते हैं। किसी अनिवासी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके लेनदेन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके साथ ही विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (FEMA), 1999 के सुसंगत प्रावधानों एवं उनके अधीन जारी नियमों - विनियमों और निर्देशों के अनुरूप हों।

विनियामकों के कथन

पिछले 5 वर्षों में डिजिटल भुगतानों में 9-गुनी वृद्धि हुई : गवर्नर, भरिबैंक

नीति आयोग के फिंटेक सम्मेलन 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा कि "पिछले वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक ने इलेक्ट्रानिक

भुगतानों के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित किया है, ताकि "कमतर नकदी" वाले समाज का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। पिछले पाँच वर्षों में खुदरा इलेक्ट्रानिक भुगतानों में लगभग 9-गुनी वृद्धि परिलक्षित हुई है। अब भुगतान सेवाओं पर बैंकों का एकाधिकार नहीं रहा। वहनीयता, अंतर-परिचालनीयता, ग्राहक-जागरूकता और संरक्षण ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।" हालांकि, उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि "प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की तीव्र गति के परिणामस्वरूप गैर-बैंकिंग कंपनियाँ/सस्थाएं बैंकों के साथ या तो उनके (बैंकों के) प्रौद्योगिकीय सेवा-प्रदाताओं के रूप में या फिर सीधे ही खुदरा इलेक्ट्रानिक भुगतान सेवाएँ प्रदान करते हुये उनके (बैंकों के) साथ सहयोग तथा प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।" आगे चल कर भारतीय रिजर्व बैंक एक विनियामक संस्था (sandbox) का गठन करेगा जिसके लिए दिशानिर्देश आगामी दो माह में जारी कर दिये जाएंगे। इस विनियामक संस्था से फिंटेक कंपनियों को कमतर समय में कमतर लागत पर नवोन्मेषी उत्पादों की शुरूआत करने की सुविधा प्राप्त होगी।"

नई नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम/संगठन
श्री रवनीत गिल	येस बैंक के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त
श्री मानस रंजन बिस्वाल	यूनियन बैंक आफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	29 मार्च, 2019 के दिन बिलियन रुपए	29 मार्च, 2019 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	28,539.4	4,11,905.0
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	26,565.5	3,84,053.5
1.2 सोना	1,666.5	23,408.4
1.3 विशेष आहरण अधिकार	100.8	1,456.7

1.4 अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	206.6	2,986.4

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

अप्रैल, 2019 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें
विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	2.53100	2.35800	2.27800	2.25200	2.25800
जीबीपी	0.86930	0.9696	1.0097	1.0535	1.0900
यूरो	-0.22410	-0.196	-0.119	0.056	0.041
जापानी येन	-0.00130	-0.030	-0.045	-0.040	-0.029
कनाडाई डालर	2.22000	1.890	1.847	1.851	1.875
आस्ट्रेलियाई डालर	1.62000	1.525	1.520	1.690	1.750
स्विस फ्रैंक	-0.63750	-0.638	-0.578	-0.505	-0.420
डैनिश क्रोन	-0.14370	-0.0973	0.0269	0.0592	0.1473
न्यूजीलैंड डालर	1.71300	1.630	1.641	1.692	1.768
स्वीडिश क्रोन	-0.05500	0.113	0.200	0.284	0.379
सिंगापुर डालर	1.93100	1.905	1.897	1.905	1.935
हांगकांग डालर	1.89500	1.920	1.950	1.980	2.010
म्यामार	3.56000	3.540	3.540	3.600	3.630

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

व्यापार ऋण (TC)

व्यापार ऋण से तात्पर्य है विदेशी आपूर्तिकर्ता, बैंक, वित्तीय संस्था और अन्य निर्धारित एवं अनुमत मान्यताप्राप्त ऋणदाताओं द्वारा सरकार की विदेश व्यापार नीति के अधीन अनुमेय पूंजीगत/गैर-पूंजीगत माल के आयात हेतु प्रदान किया गया ऋण। इस प्रकार के व्यापार ऋणों में मान्यताप्राप्त ऋणदाताओं से आपूर्तिकर्ता के ऋण तथा क्रेता के ऋण का समावेश होता है।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

ऋण-जमा अनुपात (CDR)

ऋण-जमा अनुपात का उपयोग किसी बैंक के कुल ऋणों की उसी अवधि के लिए उसकी कुल जमाराशियों से तुलना करके उक्त बैंक की चलनिधि का निर्धारण करने हेतु किया जाता है। ऋण-जमा अनुपात एक प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। उक्त अनुपात के अत्यधिक होने पर उसका अभिप्राय यह होता है कि बैंक के पास निधि की किसी अप्रत्याशित आवश्यकता को पूरा करने हेतु पर्याप्त चलनिधि नहीं होगी। संक्षेप में उक्त अनुपात के अत्यधिक कम होने पर बैंक उतना अधिक अर्जन नहीं करता होगा जितना कि उसे करना चाहिए।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अप्रैल, 2019 के प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
सीएआईआईबी परीक्षा जून, 2019 के लिए संपर्क कक्षाएं उन्नत बैंक प्रबंधन बैंक वित्तीय प्रबंधन	27 अप्रैल से 5 मई, 2019 12, 19 और 25 मई, 2019	हैदराबाद चेन्नै बेंगलूर
"दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016" पर एक - दिवसीय कार्यशाला	13 मई, 2019	मुंबई
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से शिक्षण	24 से 26 अप्रैल, 2019	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित खजाना व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से शिक्षण	9, 10 और 12 अप्रैल,, 2019	प्रौद्योगिकी पर आधारित
पहली बार शाखा प्रबंधक	22 से 26 अप्रैल, 2019	कोलकाता

"2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर" एक-दिवसीय कार्यशाला - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की भूमिका	20 अप्रैल, 2019	कोलकाता
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से शिक्षण	22 से 24 अप्रैल, 2019	आईआईबीएफ - पीडीसी -उत्तरी अंचल

संस्थान समाचार

आत्म-समगामी ई-शिक्षण (SPeL) पाठ्यक्रम

संस्थान को अपने दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों-यथा डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग में नैतिकता के लिए आत्म-समगामी (self-paced) **ई-शिक्षण पाठ्यक्रमों की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस आत्म-समगामी ई-शिक्षण का उद्देश्य बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्रों में नियोजित व्यावसायिकों को एक अधिक सहायक प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। आत्म-समगामी ई-शिक्षण विधि में अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु पंजीकरण कराने, स्वयम अपनी गति से सीखने और अंत में स्वयम अपने स्थान से परीक्षा में शामिल होने की सुविधा प्राप्त होगी। उक्त दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन पंजीकरण 9 अप्रैल, 2019 से प्रारम्भ हो गए हैं। अधिक विवरण के लिए कृपया लिंक** http://www.iibf.org.in/documents/SPeLnotice.pdf **देखें।**

मामला अध्ययन प्रतियोगिता

संस्थान एक ऐसी मामला अध्ययन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, जो बैंकरों/व्यावसायिकों को जटिल एवं पेचीदी स्थितियों को अतिरंजित करने, सीखने और समझने के लिए मामले तैयार करने के माध्यम से अपनी जानकारी /ज्ञान एवं अनुभव को बांटने हेतु प्रोत्साहित करने की एक पहलकदमी है। शिक्षाप्रद नोटों से जुड़े ये मामले भारतीय बैंकिंग से संबन्धित विषय-वस्तु पर तैयार किए जाने चाहिए। विषय-वस्तुओं को विशिष्टीकरण के आधार पर योजना I **(विशिष्टीकृत क्षेत्र) और योजना** II **(सामान्य क्षेत्र) के रूप में श्रेणीकृत किया गया है। योजना** II **के तहत सहभागी को भारतीय बैंकिंग से संबन्धित किसी अन्य क्षेत्र में भी कोई मामला तैयार करने की स्वतन्त्रता प्राप्त होगी।**

अधिक विवरण के लिए लिंक http://www.iibf.org.in/documents/SPeLnotice.pdf **देखें।**

स्थापना दिवस समारोह

बैंकिंग उद्योग की अनुकरणीय सेवा के 91 वर्ष पूरे होने का स्मरणोत्सव मनाने के लिए संस्थान 25 अप्रैल, 2019 को अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी के डिजाइन विभाग के अध्यक्ष डा. (प्रा.) उदय कुमार विशेष व्याख्यान देंगे।

8वें उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (AMP) की शुरूआत

संस्थान बैंकिंग/वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्यपालकों के लिए उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (AMP) नामक एक प्रबंधन कार्यक्रम का संचालन करता है। सत्रों का संचालन इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फ़ाइनैन्स के कुर्ला, मुंबई स्थित लीडरशिप सेंटर में किया जाता है तथा इनका आयोजन सप्ताहांत में/बैंक अवकाश के दिन किया जाता है। 8वें बैच की शुरूआत जुलाई, 2019 से की जाएगी। अधिक विवरण के लिए कृपया www.iibf.org.in **देखें।**

कारबार संपर्कियों (BCs) का अनिवार्य प्रमाणन

दिनांक 3 अक्तूबर, 2018 की अपनी अधिसूचना के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी कारबार संपर्कियों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा समयोचितता के साथ प्रमाणित किया जाना अनिवार्य कर दिया है। यह कार्य स्तरों में एकरूपता और कारबार संपर्कियों की एक बैंक से दूसरे बैंक में किसी अडचन के बिना भावी सचलता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। कारबार संपर्कियों को विषय को बेहतर रीति से समझना सुगम बनाने के लिए संस्थान द्वारा एक अतिरिक्त शैक्षणिक साधन उपलब्ध कराया जा रहा है। विषय-वस्तु के विशेषज्ञों द्वारा दिये गए वीडियो व्याख्यान रिकार्ड किए जा रहे हैं तथा वे 15 जनवरी, 2019 के बाद संस्थान के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराये जाएंगे। ये व्याख्यान दो भाषाओं - अंग्रेज़ी और हिन्दी में उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, दूसरे प्रयास के लिए परीक्षा शुल्क भी संशोधित करके 800 रुपए के स्थान पर 400 रुपए कर दिया

गया है। हालांकि, यह सुविधा ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है जो पहले प्रयास से 120 दिनों के भीतर परीक्षा में सम्मिलित हों। बैंकों द्वारा थोक पंजीकरण के लिए
एक उपयुक्त छूट ढांचा भी तैयार कर लिया गया है।

परीक्षा शुल्क वसूल करने के नियमों में परिवर्तन

संस्थान ने 1 जुलाई, 2017 से सेवा कर के स्थान पर माल एवं सेवा कर (GST) प्रणाली अपना ली है। एसोसिएट, डिप्लोमा और मिश्रित पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा शुल्क वसूल करने के पूर्ववर्ती नियम में यह निर्धारण था कि अभ्यर्थियों को दो प्रयासों के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान एक साथ करना होगा। माल एवं सेवा शुल्क प्रावधानों का पालन करने तथा कर भुगतान प्रबंधन को सरल बनाने के लिए शुल्क वसूल करने से संबन्धित नियम को पुनर्विन्यस्त किया गया है। अब संस्थान प्रत्येक प्रयास के लिए अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क अलग-अलग वसूल करेगा। अतएव, अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रयास के लिए अलग-अलग पंजीकरण करवाना होगा।
बैंकों में क्षमता निर्माण

भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 अगस्त, 2016 की अपनी अधिसूचना के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया है कि प्रत्येक बैंक के पास परिचालन के प्रमुख क्षेत्रों में उपयुक्त योग्यता/प्रमाणन सहित कर्मचारियों को परिनियोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति होनी चाहिए। प्रारम्भिक तौर पर उन्होंने खजाना प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, लेखांकन ऋण प्रबंधन अभिज्ञात किया है।

कालांतर में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश पर भारतीय बैंक संघ ने उपयुक्त संस्थाओं एवं ऐसे पाठ्यक्रमों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था, जो आवश्यक प्रमाणन प्रदान कर सकें। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस उनमें से एक तथा एकमात्र ऐसी संस्था है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात चार में से तीन क्षेत्रों में उक्त प्रमाणन प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को संबोधित तथा प्रति इंडियन

इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस को पृष्ठांकित दिनांक 31 मई, 2017 के अपने पत्र के तहत यह कहा है कि भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा।

संस्थान द्वारा खजाना परिचालन, जोखिम प्रबंधन और ऋण प्रबंधन के क्षेत्र में उपलब्ध कराये जाने वाले पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ प्रकृति की दृष्टि से मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। लेखांकन और लेखा-परीक्षा पर पाठ्यक्रम आरंभ किया जा रहा है तथा इसके लिए पहली परीक्षा 15 जुलाई को आयोजित की जाने वाली है। परीक्षा हेतु पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in.देखें।

चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू. के. के साथ पारस्परिक मान्यता करार

संस्थान को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू. के. के साथ पारस्परिक मान्यता करार हस्ताक्षरित होने की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस करार के अधीन भारत स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स के प्रमाणित सहयोगी (CAIIB) अपनी अर्हताओं को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता दिलवाएँगे तथा वे संस्थान के व्यावसायिकता, आचारशास्त्र एवं विनियम माड्यूल का अध्ययन करके और परावर्तक दायित्व को सफलतापूर्वक पूरा करके चार्टर्ड बैंकर बनने में समर्थ होंगे।

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में समाधान

संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

परीक्षा के लिए छद्म जांच सुविधा

संस्थान अपने प्रमुख पाठ्यक्रमों यथा जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के अलावा अपने तीन विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों नामत: प्रमाणित खजाना व्यावसायिक, प्रमाणित ऋण व्यावसायिक तथा वित्तीय सेवाओं मेँ जोखिम के लिए छद्म जक्ष्च की सुविधा प्रदान कर रहा है। अब छद्म जांच मेँ किसी भी बैंक का कर्मचारी शामिल हो सकता है।

वीडियो व्याख्यान अब यूट्यूब पर उपलब्ध

संस्थान द्वारा जेएआईआईबी के तीन अनिवार्य प्रश्नपत्रों और सीएआईआईबी के दो अनिवार्य प्रश्नपत्रों के लिए प्रदान की जाने वाली वीडियो व्याख्यान की सुविधा संस्थान के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। उसके लिए लिंक है https:/ www.youtube.com/channel/UCjfflktvEh8yLb3vwxosGow/playlists"

मुंबई और कोलकाता स्थित संस्थान के स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों मेँ परीक्षाएँ

इसके पूर्व संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)**, ग्राहक सेवा और धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला नामक अपने तीन पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवारों को मुंबई एवं कोलकाता स्थित स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ आयोजित करता था। अब ऊपर वर्णित परीक्षाएँ प्रत्येक महीने के 1ले और 3रे शनिवारों को आयोजित की जाएंगी। अभ्यर्थीगण अपनी पसंद की परीक्षा की तिथि एवं केंद्र का चयन कर सकते हैं। पंजीकरण पहले आए, पहले पाये के आधार पर होगा। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों की परीक्षा का कार्यक्रम हमारी वेबसाइट** www.iibf.org.in.**पर उपलब्ध है।**

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुएं

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंकों के लिए अभिज्ञात विषय-वस्तुएं निम्नानुसार हैं :

- **बैंकों मेँ नीतिशास्त्र और कारपोरेट अभिशासन : अप्रैल - जून, 2019**

- **बैंकिंग में उभरते प्रौद्योगिकीय परिवर्तन: जुलाई - सितंबर, 2019**

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) **संस्थान द्वारा फरवरी, 2017 से जुलाई, 2017 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में** 31 **दिसंबर, 2016 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।**

(ii) **संस्थान द्वारा अगस्त, 2017 से जनवरी, 2018 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में** 30 **जून, 2017 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।**

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 69228/1998 **के अधीन पंजीकृत**

बाजार की ख़बरें भारित औसत मांग दरें

6.5
6.45
6.4
6.35
6.3
6.25
6.2

अक्तूबर, 2018, नवम्बर, 2018, दिसंबर, 2018, जनवरी, 2019, फरवरी, 2019, मार्च, 2018
स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूजलेटर, मार्च, 2019

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50

अमरीकी डालर
जीबीपी
यूरो
येन

अक्तूबर, 2018, नवम्बर, 2018, दिसम्बर, 2018, जनवरी, 2019, फरवरी, 2019, मार्च, 2019
स्रोत : फाइनैन्सियल बेंचमार्क बोर्ड आफ इंडिया लिमिटेड (FBIL)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

18
16
14
12

10
8
6
4
2
0

सितंबर, 2018, अक्तूबर, 2018, नवंबर, 2018, दिसंबर, 2018, जनवरी, 2019, फरवरी, 2019
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मार्च, 2019

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

40000.00
38000.00
36000.00
34000.00
32000.00
30000.00
28000.00
26000.00

अक्तूबर, 2018, नवम्बर, 2018, दिसम्बर, 2018, जनवरी, 2019, फरवरी, 2019, मार्च, 2019
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (B S E)

समग्र जमा वृद्धि %

17
15
13
11
9
7

5

3

1

सितंबर, 2018, अक्तूबर, 2018, नवम्बर, 2018, दिसंबर, 2018, जनवरी, 2019, फरवरी, 2019

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मार्च, 2019

डा. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डा. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा. जे. एन. मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन अप्रैल, 2019